



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 12 अक्टूबर, 2020
आश्विन 20, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-8 (लेखा)

संख्या ए-105/सात-न्याय-8(लेखा)-20-24(28)-91 टी0सी0
लखनऊ, 30 सितम्बर, 2020

नियुक्ति आदेश

प०आ०-245

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 17 सन् 1976) की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री राज्यपाल, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मा० मुख्य न्यायाधीश से प्रभावी परामर्श/सम्मति प्राप्त करके श्रीमती नीरजा सिंह, सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीश को उ० प्र० राज्य लोक सेवा अधिकरण में सदस्य (न्यायिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. A-105/VII- Nyaya-8 (Lekha)-20-24(28)-91 T.C., dated September 30, 2020 :

No. A-105/VII- Nyaya-8 (Lekha)-20-24(28)-91 T.C.

Dated Lucknow, September 30, 2020

IN exercise of the powers under sub-section (7) of section 3 of Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976 (U. P. Act no. XVII of 1976) after having effective consultation/concurrence with the Hon'ble Chief Justice of Allahabad High Court, the Governor is pleased to appoint Smt. Neerja Singh, Rtd. District Judge a Member (Judicial) of the State Public Service Tribunal from the date of taking over charge.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.